भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1282
सोमवार, 10 फरवरी, 2020/21 माघ, 1941 (शक)

बेरोजगार लोगों का पंजीकरण

1282. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस समय पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए हाल ही में विशेष योजना शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो रोजगार सृजन के लिए राज्य-वार और जिला-वार निर्धरित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कम शिक्षित और अनपढ़ों के लिए रोजगार हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वाले, जिनमें यह आवश्यक नहीं है कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या उपलब्ध सीमा तक नीचे अनुबंध में दी गई है।

(ख से घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जोकि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 10.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1282 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिसम्बर, 2017 तक, उपलब्ध सीमा तक देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	रोजगार चाहने वाले* (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	9.23
2	अरुणाचल प्रदेश	1.03
3	असम	19.07
4	बिहार	7.90
5	छत्तीसगढ़	23.11
6	दिल्ली	12.63
7	गोवा	1.19
8	गुजरात	5.32
9	हरियाणा	6.24
10	हिमाचल प्रदेश	8.35
11	जम्मू और कश्मीर	2.33
12	झारखंड	4.79
13	कर्नाटक	3.39
14	केरल	35.00
15	मध्य प्रदेश	19.56
16	महाराष्ट्र	37.15
17	मणिपुर	3.73
18	मेघालय	0.41
19	मिजोरम	0.36
20	नागालैंड	0.69
21	ओडिशा	10.08
22	पंजाब	3.14
23	राजस्थान	5.67
24	सिक्किम#	-
25	तमिलनाडु	74.70
26	तेलंगाना	9.57
27	त्रिपुरा	2.89
28	उत्तराखंड	9.10
29	उत्तर प्रदेश	27.11
30	पश्चिम बंगाल	77.61
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.43
32	चंडीगढ़	0.19
33	दादरा एवं नगर हवेली	0.09
34	दमन और दीव	0.10
35	लक्षद्वीप	0.19
36	पुडुचेरी	2.12
	योग@	424.45

स्रोत: रोजगार कार्यालय सांख्यिकी, रोजगार महानिदेशालय

टिप्पणी: # इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है; *अनंतिम

@ हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।